राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 Website:- www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– प. 13 ( )/काउ.(सत्र 2020–21)/रा.पै.मेडि.कौं/2021/101 दिनांकः– 24/09/21

–::प्रथम काउन्सलिंग प्रवेश सूचना::–

(पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र 2020–21 में प्रवेश के सम्बन्ध में)

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा सत्र 2020–21 मे विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु प्रथम ऑन–लाईन काउन्सलिंग आयोजित की जाकर पात्र आवेदकों को उनकी वरीयता के अनुसार महाविद्यालय आवंटित किये जा चुके है जिसकी सूचना राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल की वैबसाईट पर उपलब्ध है, अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में **अंतिम तिथि दिनांक 06.10.2021 सांय 5.00 बजे** तक समस्त मूल दस्तावेजों, जिसमें आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण–प्रत्र भी सम्मिलित होंगे के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा ताकि प्रवेश के अंतिम दिनांक 06.10.2021 सांयकाल 7.00 बजे सॉफ्टवेयर के 'डिएक्टीवेट' **(Deactivate)** होने से पहले प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो सकें। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल दस्तावेज एवं छांयाप्रति, राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र के साथ निर्धारित फीस लेकर आवंटित महाविद्यालय/संस्था को उपस्थिति प्रस्तुत करें। कृपया ध्यान रहे कि मूल दस्तावेजो के अभाव में आपकी उपस्थिति (Reporting) स्वीकार नही की जायेगी।

यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगजन **(Physical Handicapped)** श्रेणी में चयनित है, तो ऐसे अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय/संस्था में उपस्थिति (Reporting) नही करें, क्योंकि उन्हें चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थिति के पश्चात् चिकित्सकीय परीक्षण में कोर्स हेतु पात्र पाये जाने पर ही उन्हें कौंसिल द्वारा यथा निर्देशित Alloted महाविद्यालय/संस्था में उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत करनी होगी, जिसका विवरण RPMC की वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों में उन्हें उनके राज्य के अधीन प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा तथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर उसी अनुसार महाविद्यालय में सीटों का आवंटन किया जावेगा। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित करें कि उन्हें आवंटित सीट अनारक्षित श्रेणी की है, किसी भी आरक्षित श्रेणी की नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के राजस्थान के मूल निवासी नहीं होने के उपरान्त भी उनके द्वारा राजस्थान के मूल निवासी होना अंकित किया जाने के कारण या अन्य किसी तकनीकी त्रुटि के कारण उन्हें राजस्थान की आरक्षित श्रेणी में किसी सीट का आवंटन हो गया हो तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। ऐसी स्थिति में यह अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सिलिंग से पूर्व अपनी श्रेणी को सामान्य श्रेणी में संशोधित किये जाने का आवेदन कौंसिल की ईमेल आईडी **rpmc.helpdesk@gmail.com** पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे उन्हें द्वितीय काउन्सिलिंग में रिक्त सीट पर प्रवेश का अवसर प्राप्त हो सके।

अभ्यर्थी अपना अस्थाई आवंटन पत्र **(Provisional Allotment Letter)** राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की **Website : www.rajasthanparamedicalcouncil.org** पर दिये गये **"First Counselling Allotment Letter 2020-21" Link** पर जाकर अभ्यर्थी अपनी एप्लीकेशन आई.डी. (Application ID), जन्म तिथि (DOB) से प्राप्त कर सकते है।

अभ्यर्थी द्वारा प्रथम ऑन–लाईन काउन्सलिंग में संबंधित आवंटित महाविद्यालय/संस्था में अपनी उपस्थिति (Reporting) निधार्रित समय/समस्त शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करने के उपरान्त अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति (Reporting) की सूचना एप्लीकेशन आई.डी. (Application ID), जन्म तिथि (DOB) के माध्यम से आवश्यक रूप से देख लें और सुनिश्चित कर लेवें कि उनकी उपस्थिति (Reporting) की सूचना राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल पोर्टल पर अंकित कर दी गई है।

जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउन्सलिंग में कोई भी महाविद्यालय/संस्था आवंटित नहीं हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रस्तावित द्वितीय काउन्सलिंग में शामिल किया जायेगा।

(डॉ. अनिल पालीवाल)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार